(6)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह ।

जमाबंदी रद्द अभिलेख सं. 02/2015-16

राज्य बनाम मांगा मांझी

12.8.16

यह अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 339/भू.सु. दिनांक 22.07.2014 के द्वारा अंचल अधिकारी, गिरिडीह को उनके द्वारा भेजे गये स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा प्रारम्भ की गयी । उपायुक्त गिरिडीह द्वारा भी उनके पत्रांक 132/गो. दिनांक 23.01.2015 के द्वारा अंचल अधिकारी, गिरिडीह को अनुमण्डल पदाधिकारी का पत्रांक 444/भू.सु. दिनांक 13.09.2014 की छायाप्रति भेजते हुए मौजा चपरडीहा थाना नं. 210 थाना गिरिडीह(मु) खाता सं. 01 रकवा 19.37एकड़ जमीन का जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया ।

अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा चपरडीहा थाना नं. 210 थाना गिरिडीह(मु.) अन्तर्गत खाता सं. 01 प्लॉट नं. 61 रकवा 106.25 एकड़ एवं प्लॉट नं. 177 रकवा 30.75 ए. प्लॉट नं. 199 रकवा 22.75 ए. एवं प्लॉट नं. 34 रकवा 3.01ए. भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है। मौजा चपरडीहा थाना नं. 210 का पंजी--।। का पृष्ठ सं. 162 में मांगा मांझी के नाम से खाता नं. 01 रकवा 19.37 एकड की जमाबंदी दर्ज है जिसमें दिनांक 19.03.2010 से लगान रसीद सं. 3495011 एवं दिनांक 26.02.2011 लगान रसीद नं. 5778236 दो लगान रसीद की प्रविष्टि है। पंजी–।। में अगले आदेश तक लगान वसूली स्थगित किया गया है । कन्टिनियस खतियान में मांगा मांझी के नाम से खाता न. 1/39 प्लॉट सं. 61 रकवा 6.70एकड प्लॉट नं. 34 रकवा 2.32 एकड़ प्लॉट नं. 177 रकवा 0.50ए. प्लॉट नं. 199 रकवा 1.85 ए. एवं प्लॉट नं 61 रकवा 8.00ए. कुल

रकवा 19.37ए. का लिखावट अन्य स्याही से प्रविष्टि है जो संदिग्ध है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा उपरोक्त जमीन की जमाबंदी रद्द करने के लिए अनुशंसा किया गया है । अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिपक्ष रोहड़ा मुर्मू, विरालाल मुर्मू, दोनों के पिता जेरो मुर्मू साकिन चपरडीहा थाना गिरिडीह(मु.) गिरिडीह को बकायदे नोटिस निर्गत कर अपने पक्ष रखने का अवसर दिया गया परन्तु प्रतिपक्ष के द्वारा न ही उपस्थिति दर्ज की गयी और न ही नोटिस स्वीकार किया गया । फिर अंचल अंधिकारी द्वारा नियमानुसार जमाबंदी रद्द करने हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास भेज दिया गया । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, द्वारा विधिवत् अभिलेख खोलकर द्वितीय पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत किया गया । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत कर अनेकोबार अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया गया । परन्तु माँगा मांझी के वारिसान रोहड़ा मुर्मू, बिरालाल मुर्मू दोनों के पिता जेरो मुर्मू साकिन चपरडीहा द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया और न अपने अधिवक्ता के माध्यम से किसी प्रकार का अपना पक्ष रखा गया । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा मौजा चपरडीहा के पंजी–।। के पृष्ठ सं. 162 में मांगा माझी के नाम से खाता नं. 1 रकवा 19.37एकड़ जिसका लगान वसूली पूर्व से हीं स्थगित है, की जमाबंदी रद्द करने की स्वीकृति हेतु अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में भेजा गया ।

अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में द्वितीय पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत किया गया । द्वितीय पक्ष के तरफ से अधिवक्ता द्वारा कागजात दिखाने के लिए समय की माँग की गयी । द्वितीय पक्ष द्वारा तीनों तिथियों में कोई कागजात नहीं दिखाया गया बल्कि कागजात दिखाने के लिए समय की मांग की गयी। तीनों तिथियों में द्वितीय पक्ष द्वारा कागजात नहीं दिखाने के कारण दिनांक 04.08.2015 को उनके द्वारा दिये

गये Time Petition को रद्द कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष के पास केवल दो रसीद के अलावा कोई कागजात नहीं है। विभिन्न तिथियों को की गई स्थानीय एवं स्थल जाँच प्रतिवेदन से विदित होता है कि द्वितीय पक्ष का जमीन पर स्पष्ट कब्जा नहीं रहा है तथा अपने पक्ष के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे एवं पूर्व में प्रसंगीक जमीन पर प्रथम पक्ष का कब्जा रहा है।

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा चपरडीहा थाना नं. 210 खाता नं. 01 रकवा 19.37 एकड़ जमाबंदी जो मांगा मांझी के नाम से पंजी।। के पृष्ठ सं. 162 में चल रही है उसे रद्द की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, प्रमण्डल, हजारीबाग को भेजें।

12.08.16

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

12/08/16

उपायुक्त,गिरिडीह।